

अधिसूचना

08.11.23

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, आदित्यपुर एवं डोरण्डा, राँची कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/ सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/उप सचिव/ सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक सहित)/ स्थापना शाखा (प्रशाखा-1 एवं 10), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि : श्री नजरे ईमाम, सहायक अभियंता, (C.D.O.) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/नोडल पदाधिकारी, HRMS/ श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, आई०टी०, पी०एम०यू०/श्री फैज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट, ई-गजट एवं HRMS पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव